

प्रेषक,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक: 01 ^{नवम्बर,} ~~अक्टूबर,~~ 2021

विषय: जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास निधि के जनपद स्तर पर खोले गये खातों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास निधि के जनपद स्तर पर खोले गये चालू खाता (Current Account) खाता के स्थान पर बचत खाता (Saving Account) खोले जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर० मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

संख्या: (1) / VII-A-1 / 2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड को उनके पत्र संख्या-1681/मुख०/42/भू०खनि०ई०/DMF1/2015-16, दिनांक 24 अगस्त, 2021 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र संख्या-505/XXVII(1)/2021, दिनांक 31.05.2021 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव